तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 43/2024** **सीआईएस संख्या 232/2024** **डूंगाराम बनाम हरी किशन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2026	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12, 14 सपठित धारा 151 सीपीसी पर उभय पक्षों को सुना गया। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता वादी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में जिस लिखावट का हवाला दिया गया है, वह फर्जी तथा कूटरचित है, जिसकी मूल प्रतिवादी के कब्जे में है, जो कि वादी को अपना जवाबुल जवाब पेश करने के लिए पेश करवाना अति आवश्यक है। अतः उक्त मूल दस्तावेज प्रतिवादी से तलब करवाया जावे। वहीं दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजि. एन.आई. एक्ट प्रकरण सं. 2, अजमेर में सभी दस्तावेज पर प्रदर्श डाले जा चुके है। वहां से वादी चाहे तो प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि उसके द्वारा न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजि. एन.आई. एक्ट प्रकरण सं. 2, अजमेर में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, लेकिन उक्त लिखावट की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जहां तक आदेश 11 नियम 12 व 14 के प्रावधान का प्रश्न है, आदेश 11 नियम 12 व 14 में यह प्रावधानित किया गया है कि– **12 दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए आवेदन–** कोई भी पक्षकार कोई भी शपथपत्र फाइल किए बिना न्यायालय से ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा जो किसी वाद के किसी अन्य पक्षकार को निदेश करता हो कि वह उसमें प्रश्नगत किसी बात से संबंधित ऐसी दस्तावेजों का, जो उसके कब्जे या शक्ति में हो या रही हों, शपथपत्र पर प्रकटीकरण करे। ऐसे आवेदन की सुनवाई के पश्चात् यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है या वाद के उस प्रक्रम में आवश्यक नहीं है तो वह उसे नामंजूर कर सकेगा या स्थगित कर सकेगा अथवा या तो	

Authenticated Document

साधारणतः या दस्तावेजों के कुछ वर्गों तक ही सीमित ऐसा आदेश कर सकेगा जो स्थविवेक में वह ठीक समझेः

परन्तु जब और जहां तक न्यायालय की यह राय है कि वाद के ऋजु निपटारे के लिए या खर्चा में बचत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है तब और वहां तक प्रकटीकरण के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा।

14 दस्तावेजों का पेश किया जाना– न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी भी वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय उसमें से किसी भी पक्षकार को यह आदेश दे कि वह शपथ पर, अपने कब्जे या शक्ति में की और ऐसे वाद में प्रश्नगत किसी विषय के सम्बन्धित दस्तावेजों में से ऐसी दस्तावेजें पेश करे जो न्यायालय ठीक समझे और जब ऐसी दस्तावेजें पेश की जाएं तब न्यायालय उनका इस प्रकार उपयोग कर सकेगा जो न्यायसंगत प्रतीत हो।

जहां तक उक्त विधिक प्रावधान के प्रकाश हस्तगत प्रकरण का सम्बंध है, प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम में उसके तथा वादी के मध्य रूपयों के लेनदेन बाबत लिखापढी लिखने का कथन किया है व उसकी प्रति पेश की गयी है, जिनके मूल तलब करवाने बाबत वादी द्वारा निवेदन किया गया है। उक्त दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत दर्शित होते है तथा जिन्हें वादी द्वारा कूटरचित होना बताया गया है। उक्त दस्तावेज की प्रति प्रतिवादी द्वारा पेश की गयी है तथा मूल दस्तावेज उसके पास नहीं हो, इस बात से भी इंकार नहीं किया गया है।

अतः बाद गौर न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज मूल आगामी पेशी पर न्यायालय के समक्ष पेश करे तथा उसके पास नहीं होने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि दस्तावेज उसके पास नहीं है। आदेश सुनाया गया।

आदेश की पालना बाबत प्रतिवादी द्वारा समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते पेश होने दस्तावेज/शपथ पत्र हेतु दिनांक 13.03.2026 को पेश हो।

(नीरज गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश
संख्या 3, अजमेर

Digitally signed by IMRAN
Date: 2026.01.31 17:02:13 +0530
IMRAN
Authenticated Document